

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

संवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुमान-2

देहरादून : दिनांक 12 दिसंबर, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में ज्ञानपूर्व पिथौरागढ़ के के विधान सभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रुग्मीली चमाली रोड़ रो मधीनांखोली कमारी विधान तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, विशेषज्ञ द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणन, जिसकी कुल लंबाई 3.00 किमी० तथा लंबागत ₹ 31.08 लाख है, पर विभागीय ठी0एसी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण घनराशि ₹ 31.08 लाख (३ इक्कीस लाख आठ हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (४ दस हजार मात्र) की घनराशि आपके नियर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निर्माणित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0-1764/III(2)/10-17(रामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की वावस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बजार भाव से ली गई हो, वो स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उत्तम ही व्यय किया जाय जितना वो स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदाचित न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही घनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजार रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रवलित दरों/विशिष्टयों को अनुसूचि ही कार्यों को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक बद का दूसरी मद में व्यय कदाचित न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने लाला कार्य उत्तराखण्ड प्रांतीयमेन्ट रुल्स-2017-एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट गैनुपाल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006/द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन अधिकारी At <sup>Photocopy</sup> करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि ओपरेशन, सूटिलिटी शिपिटंग आदि सदों के सम्बन्ध में यथावदशक व्यय अनुदान सं0-22 लेखांशीप्रक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूर्जीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्को-337-सङ्को निर्माण कार्य-04-सङ्को/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि

सहायक अभियन्ता  
प्रानीय खण्ड लोनिंगवि  
पिथौरागढ़

अधिग्रहण-00 -24 वृहत निर्माण कार्य में विमार्शीय आय-व्ययक में प्राविद्यानिल तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयद्वंद्वा का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता का होगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अदमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2018 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xii) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्कर योजनान्तर्गत स्वीकृति है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्कर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति रवत: निरस्त समझी जायेगी।

(xiii) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.10 लाय का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183 /XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई030 के अनुक्रम संख्या-\$1712220138 दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 के द्वारा आपको आवंटित कोड सं0-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सङ्कर तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्करों- 337-सङ्कर निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-561 /XXVII(2)/2017 दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

मंदिरीय,

(एस0एस0 दोलिया )  
संयुक्त सचिव

3975

संख्या- 111(2)/17-44(एम0एल030)/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालोखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मौटर्स विल्डिंग, माजश देहरादून।
2. निजी सचिव, सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. मुख्य अधियन्ता(पिंडो), लोनिवि०, पिथौरागढ़।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोपाधिकारी, जनपद देहरादून/पिथौरागढ़।
7. निदेशक, साध्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
10. अधिकारी अभियन्ता, प्रा० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
11. गार्ड युक।

*Photocopy Attached*

महायक अभियन्ता  
प्रानीय खण्ड लोकनिर्माण  
पिथौरागढ़

आज्ञा/रो.

( जीवन सिंह )  
उप सचिव